प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 39/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाएं विनियम'' पर टिप्पणियां प्राप्त करने की समय–सीमा को बढ़ाना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020: – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 26 मई, 2020 को ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाएं विनियम'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था । टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 23 जून, 2020 और 7 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाएं विनियम'' पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां भेजने की समयसीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमशः 7 जुलाई, 2020 और 21 जुलाई, 2020 की गई है।

3. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एव आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा ईमेलः– advfea1@trai.gov.in पर भेजें। .

4. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एव आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 91-11-23230752/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।